9.1.19 प्रार्थी एवं अप्रार्थी (केवियेटर) के अधिवक्ता उपस्थित उपस्थित अधिवक्ताओं की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण मे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे अपीलाधीन आदेश की पालना नही रोकी गई तो कब्जे से अपीलान्ट के कब्जे की भूमि मे तरमीम कर दी जायेगी जिससे पक्षकारों मे विविाद बढेगा, जिससे अपीलान्ट को अपूर्णनीय हानि होगी। अपीलाधीन आदेश दिनांक 2.6.2017 की पालना व प्रभाव को स्थगित रखने व मौके की यथास्थित बनाये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे आर.आर.टी 2017(2) पेज 1084 पेश की ।

उपस्थित अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उसकी पालना हो चुकी है ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित करने का कोई औचित्य नही होने से किसी प्रकार का स्थगन दिया उचित नही होगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित करने की अनुतोष चाहा है, परन्तु अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। ऐसी स्थिति मे प्रकरण मे किसी प्रकार स्थगन दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना अस्वीकार किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार हो कर नम्बर से कम हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर